संख्या- 41/2019/315/ सात-न्याय -9(बजट)-2019-800(1)/2014

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-II
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय- जनपद गाजीपुर के वाहय न्यायालय सैदपुर में श्रेणी- 5 के 02 नग आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश स0- 208/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(1)/2014, दिनांक 18-07-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से गाजीपुर के वाहय न्यायालय सैदपुर में श्रेणी- 5 के 02 नग आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रू096.64 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किशत के रूप में रू048.32 लाख की धनराशि स्वीक़ृत की जा चुकी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि जनपद गाजीपुर के वाहय न्यायालय सैदपुर में श्रेणी- 5 के 02 नग आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आगणन रू096.64 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू048.32 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू048.32 लाख (रूपये अड़तालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- चूंकि उक्त कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लि0 कार्यदायी संस्था नामित है । अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके परियोजना प्रबन्धक, इकाई-24 सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लि0, बाराणसी को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2019 तक अवश्य कर लिया जायेगा। लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

3- शासनादेश स0- 208/सात-न्याय-9(बजट)-2014-800(1)/2014, दिनांक 18-07-2014 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर शासन द्‌वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी 2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय- 01-सरकारी रिहायशी भवन- 700- अन्य आवास - 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें - 01-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह-।।)
प्रमुख सचिव

<u>सं0-41/2019/315(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2019, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनउ बेंच लखनऊ ।
4- निजी सचिव, अध्य अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
5- जनपद न्यायाधीश गाजीपुर ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कलेक्टट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
8- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लि0 लखनऊ ।
9- परियोजना प्रबन्धक, इकाई-24 सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लि0, बाराणसी ।
10- वित्त ई- 12।
11- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in